STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

सन्दर्भ में : उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार नियोक्ता

<u>मामले का विवरण</u>:

दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभों के लिए न्यू इनिशियल क्लेम (एनआईसी) दायर किया है जो ___________से प्रभावी है| इसके बाद, डिवीज़न ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्यूरिटी ("डिवीजन") ने निर्धारित किया कि दावेदार की देय साप्ताहिक लाभ राशि $___________थी और दावेदार द्वारा स्थापित लाभ वर्ष के दौरान, दावेदार के लिए देय बेरोजगारी बीमा लाभों की अधिकतम राशि $ _________थी|

पिछले नियोक्ता से अलगाव के मुद्दे पर दावे को निर्णय के लिए भेजा गया| डॉकेट संख्या ____________ के तहत _________ तारीख को न्याय निर्णायक ने निर्णयादेश द्वारा निर्धारण जारी किया, यह पता लगाने के लिए कि दावेदार N.C. Gen.Stat. §96-14( ) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए (अयोग्य है) (अयोग्य नहीं है)| (दावेदार) (नियोक्ता) ने निर्धारण से एक अपील दायर की और मामले की अपील रेफरी (नाम) द्वारा अपील डॉकेट संख्या _________ के तहत सुनवाई हुई| अपील रेफरी के समक्ष निम्न लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए: _______________________| अपील रेफरी ने N.C. Gen. Stat. §96-14( ) के तहत ______________ तारीख को निर्णय जारी किया जिसमें उसने पाया कि लाभ प्राप्त करने के लिए दावेदार अयोग्य (नहीं) है| **(दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील की है|**

<u>तथ्यों की खोज:</u>

1. दावेदार ने __________ से ___________ तक की अवधि के लिए बेरोजगारी बीमा लाभों के दावों को नियमित रूप से दायर किया है| दावेदार ने डिवीज़न के साथ काम के लिए पंजीकरण किया है, डिवीज़न द्वारा अनुरोध के अनुसार एक रोजगार कार्यालय को रिपोर्ट करना जारी रखा है, और N.C. Gen. Stat. §96-15(a) के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए दावा किया है|

—Ŗs OÅS
ỳ

2. दावेदार ने नियोकता के लिए ___________ तारीख से __________ के रूप में काम करना शुरू किया| उसने ____________ तारीख को अंतिम बार नियोकता के लिए काम किया|

कानून का ज्ञापन:

North Carolina का रोजगार सुरक्षा कानून यह कहता है कि लाभ परापत करना किसी भी वयिकत का अधिकार नहीं है और उसे लाभ परापत करने के लिए अपातर घोषित कर दिया जाएगा यदि डिवीजन यह पाता है कि वयकित ने उचित कारण जो नियोकता से समबंधित हो, के अलावा किसी अनय कारण से काम छोड़ा है| जब कोई वयिकत काम छोड़ता है तो उचित कारण जो नियोकता से समबंधित हो, को दशारने की जिममेदारी वयिकत पर होती है और यह जिममेदारी नियोकता पर नहीं डाली जा सकती|

N.C. Gen.Stat. §96-14.5(a).

"उचित कारण" को न्यायालय द्वारा इसतरह परिभाषित किया है कि वह कारण जो यथोचित पुरुष और महिलाओं द्वारा एक वैध कारण समझा जाएगा और काम करने के लिए अनिच्छा का संकेत नहीं होगा| Sellers v. Nat'l Spinning Co., Inc., 64 N.C.App. 567, 307 S.E.2d 774 (1983), disc. rev. denied, 310 N.C. 153, 311 S.E.2d 293 (1984); In re Clark, 47 N.C.App. 163, 266 S.E.2d 854 (1980). "नियोक्ता से सम्बंधित" का अर्थ है नियोक्ता के कार्यों से उपस्थित, उत्पन्न, निर्मित या के परिणामस्वरूप कारण| SeeSellers, 64 N.C.App. 567; In re Vinson, 42 N.C.App. 28, 255 S.E.2d 644 (1979). यह साबित करना की N.C. Gen.Stat. §96-14.5(a) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वह अयोग्य नहीं है इसकी जिम्मेदारी दावेदार की होती है| SeeIn re Whicker, 56 N.C.App. 253, 287 S.E.2d 439 (1982). जब दावेदार यह जिम्मेदारी नहीं लेता या लेती, तो N.C. Gen. Stat. §96-14.5(a) दावेदार को लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश देता है|

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दावों के मामले में तथ्य के मुद्दों को पारित करने में, समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") गवाहों की विश्वसनीयता को जांचने और उनकी गवाही को वजन देने के लिए अंतिम न्यायाधीश हैं। बोर्ड, गवाह की गवाही को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह इसपर विश्वास करता है या विश्वास नहीं करता। Moses v. Bartholomew, 238 N.C. 714, 78 S.E.2d 923 (1953); Phillips v. Kincaid Furniture Co., 67 N.C.App. 329, 313 S.E.2d 19 (1984).

कानून के निष्कर्ष:

वर्तमान मामले में, सुनवाई में पेश किए गए सक्षम और विश्वसनीय प्रमाणों के आधार पर तथ्य के निष्कर्षों से किसी भी तरह के प्रतिवादित साक्ष्य का समाधान किया गया है।

बोर्ड ने सक्षम और विश्वसनीय सबूतों और पाए गए तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला है कि दावेदार ने कानून के दायरे में रहकर काम छोड़ा है| बोर्ड ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि तर्कसंगत पुरुष और महिला इस बात से सहमत होंगे कि काम को छोड़ने के दावेदार के कारण, N.C. Gen.Stat. §96-14.5(a) के अर्थ के तहत, काम छोड़ने के उचित कारण के स्तर तक (पहुँचे) (नहीं पहुँचे)|

पूवरगामी के आधार पर, बोडर को यह निषकषर निकालना चाहिए कि दावेदार ने नियोकता से समबंधित उचित कारण (के साथ) (केबिना) काम छोड़ दिया| अपील रेफरी के निणरय में (पुषिट/बदलाव/संशोधन) होना चाहिए और दावेदार को बेरोजगारी बीमा लाभ परापत करने के लिए N.C. Gen.Stat. §96-14.5(a) (अपातर) (अपातर नहीं) समझा जाना चाहिए।

<u>निणरय</u>:

अपील रेफरी केनिणरय की **(पुषिट)** **(बदलाव)** **(संशोधन**) हुआ है|

________ से शुरूहोनेवाले बेरोजगारी बीमा लाभों को परापत करने केलिए दावेदार **अपातर है|** (**अपातर नहीं है** और _______ से शुरूहोनेवाले बेरोजगारी बीमा लाभों को परापत करेगा**|)**

बोडर ऑफ़ रिवयु केसदसय Susan Doeऔर John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस निणरय से सहमत हैं|

यह है

बोर्ड ऑफ़ रिव्यु

____

चेयरमैन

नोट: यह उच्च प्राधिकरण का निर्णय मेल भेजने के तीस (30) दिनों में अंतिम हो जाएगा, जब तक की नीचे दिए गए अनुसार, एक न्यायिक समीक्षा की याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर ना की गई हो| मेल भेजने की तारीख इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर मिलेगी| <u>हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय को अपील करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए संलग्न पुस्तिका देखें|</u> यह पुस्तिका पूरे राज्य के सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों में और रोजगार सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है| आप रोजगार सुरक्षा विभाग की www.des.nc.gov वेबसाइट पर *फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स* सेक्शन को भी देख सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं|

<u>नयायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार</u>

इस उचच पराधिकरण निणरय की अपील उचच नयायालय के कलकर के साथ याचिकाकतार द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकतार का परमुख वयवसाय सथान है| यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में परमुख वयवसाय नहीं है, तो अपील को वेक काउंटी, North Carolina के उचच नयायालय के कलकर के साथ दायर किया जाना चाहिए

महततवपूणर – निमर्नोलीखत पृषठ देख

या North Carolina की उस काउंटी के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था|

उच्च प्राधिकरण निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायलय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए|

न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए| याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए| उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और डिवीज़न की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए:

A. John Q Lawyer
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट: यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते|

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि (नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंपनी के व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 और § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा निरीक्षित व्यक्ति हो| वकील के निरिक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों| **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए|**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किये जाने वाले सभी दस्तावेज और सूचनाएँ केवल प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे| पक्ष के कानूनी

प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महत्त्वपूर्ण और प्रभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील करने पर वापस मिल जाएगा। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

दावेदारों के लिए विशेष सूचना: यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे हैं या पहले प्राप्त कर चुके हैं और इस उच्च प्राधिकरण निर्णय ने आपको पूरी तरह से या कुछ अंश तक इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अपात्र या अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभ का अधिक भुगतान किया जा सकता है| यदि यह अधिक भुगतान इस उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाता है, तो आपको डिवीज़न के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंत्रण विभाग से अधिक भुगतान की अलग सूचना या अतिरिक्त भुगतान का निर्धारण भेज दिया जाएगा| यह अधिक भुगतान की सूचना या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, आपके अधिक भुगतान की राशि और कोई अन्य लागू जुर्माने को निर्दिष्ट करेगा| कृपया नोट करें कि अधिक भुगतान से प्रतिवाद करने का एकमात्र तरीका है, ऊपर दिए गए अनुसार, और North Carolina कानून के अनुसार, सुपीरियर न्यायालय में इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करना| आपकी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप अपील किस मुद्दे के लिए कर रहे हैं (1) अपात्रता या योग्यता के मुद्दे के लिए और/या (2) परिणामी निर्धारण के लिए, जो आपको अतिरिक्त भुगतान के लिए मिला है|

अपील दायर करने की तारीख: निर्णय मेल करने की तारीख: